


| तारीख | <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू</p> <p>जैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत कासिमपुरा</p> <p>प्रकरण सं. 196/2013</p> <p>उत्तवान</p> <p>भादरमल बनान स्वरूप सिंह वगैरह</p> <p>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कासलकारी अधिनियम 2 अ. धारा 36 नियम 1 & 2 ली वेजी</p> <p>बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</p> | <p>राजस्व लोक अदालत</p> <p>न्याय प्रणाली द्वारा</p> <p>कामिष्ठान अंशक</p> |
|------------|---|---|
| 26.06.2018 | <p>यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत कासिमपुरा में पेश हुई। पक्षकारानों में से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.11.2013 को विरुद्ध अनावेदकगण बाबत लेने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि विचाराधीन विवाद में दोनों पक्षों के मध्य अनावश्यक कोई बाधाकारित न हो सके। अतः दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू राजस्थान </p> | |